संख्या-152/इक्कीस-4-2014-30/2013

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान,

लखनऊ।

भाषा अनुभाग -4 लखनऊ : दिनांक: 31जुलाई, 2014

विषय:-हिन्दुस्तानी अकादमी को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में गैर वेतन मद में प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

हिन्दुस्तानी अकादमी ,इलाहाबाद के कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान अवधि में शासनादेश संख्या- 86/इक्कीस-4-2014-30/2013 दिनांक 07 अप्रैल,2014 द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 4.80लाख (चार लाख अस्सी हज़ार रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी | उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद को चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में शेष अवधि में कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों के संचालन की आवश्यकता हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में गैर वेतन मद में प्रावधानित अनुदान रुपये 20.00लाख (रुपये बीस लाख मात्र) में से लेखानुदान अवधि के लिए स्वीकृत धनराशि रुपये 4.80लाख(रूपए चार लाख अस्सी हज़ार मात्र) के समायोजन के उपरांत प्रथम किश्त के रुप में रुपये 5.20 लाख(रुपये पांच लाख बीस हजार मात्र)की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आहरित करके आपके द्वारा अकादमी को भुगतान किया जाएगा और उसका बिल अनुसचिव, भाषा विभाग, उ० प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) इस धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा , जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग -1 के अध्याय 16ए में दिए गए नियम लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह तथा उपभोग प्रमाण पत्र मार्च ,2015 तक शासन को उपलब्ध कराया जाए | इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-2014 का उपभोग प्रमाण पत्र एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय।

2- उपर्युक्त सम्पूर्ण धनराशि रुपये 5.20 लाख (रुपये पांच लाख बीस हज़ार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या - 39 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा – आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा- 104 – अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता-03-हिन्दुस्तानी अकादमी , उत्तर प्रदेश को अनुदान- 20-सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2475/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई , 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या -152(1)/इक्कीस -4-2014-30/2013,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी,लखनऊ।
5- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ०प्र० इलाहाबाद|
6- सचिव,हिन्दुस्तानी अकादमी,राजर्षि टंडन भवन, 12-डी कमलानेहरु मार्ग, इलाहाबाद।
7-वित्त (व्यय –नियंत्रण) अनुभाग -7
8-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- भाषा उर्दू अनुभाग-4।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार अस्थाना)
अनुसचिव (भाषा)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।